



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 385 राँची, गुरुवार, 28 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
18 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

2 दिसम्बर, 2024

विषय :- राज्य संचालित "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" अन्तर्गत लाभार्थियों को माह दिसम्बर 2024 से रु0 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति।

ज्ञापांक :- 08/म०स०/यो०-260/2024-3013--विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक-01.07.2024 सह पठित संकल्प संख्या-1723 दिनांक-29.07.2024, विभागीय पत्रांक-1898 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया एवं संकल्प संख्या-2204 दिनांक-06.09.2024 द्वारा "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह रुपये 1,000/- (एक हजार रु० मात्र) की दर से आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या-2565 दिनांक-14.10.2024 द्वारा बजटीय प्रावधान कर योजनान्तर्गत लाभार्थियों को माह दिसम्बर, 2024 से प्रतिमाह रु० 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) की दर से आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति निर्गत है।

2. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-28.11.2024 की बैठक के मद संख्या-03 में अन्यान्य के रूप में लिए गए निर्णय के अनुसार झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजनान्तर्गत लाभुकों को माह दिसम्बर 2024 से प्रतिमाह रु० 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
